DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 10 नवंबर, 2022 TED----------

दिल्ली-एनसीआर के 80% भवन कमजोर

केंद्र के अधीन बिल्डिंग मैटीरियल एवं टेक्नोलाजी प्रोमोशन काउंसिल ने किया था सर्वे

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

- सर्वे में सामने आया था कि बड़ी संख्या में बने फ्लैट और घर नहीं झेल सकते भूकंप के तेज झटके
- दिल्ली में ऐसी सैकड़ों पुरानी इमारतें, जो भूकंप के दौरान ढहने की कगार पर, नहीं किया गया है बदलाव

सिस्मिक जोन चार में शामिल दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटकों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। यह डर अतार्किक भी नहीं है। वह इसलिए क्योंकि भूकंप के लिहाज से यह क्षेत्र सर्वाधिक जोखिम वाली दूसरी श्रेणी यानी सिस्मिक जोन-चार में शामिल है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाली बिल्डिंग मैटीरियल एवं टेक्नालोजी प्रोमोशन काउंसिल की ओर से कोरोना महामारी के बाद किए गए एक सर्वेक्षण में भी यहां के लगभग 80 प्रतिशित फ्लैटों और घरों के असुरक्षित होने की आशंका जताई गई है। भू विज्ञानियों की मानें तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि शहरों में बड़ी संख्या में फ्लैट और घर भूकंप के तेज झटकों को नहीं झेल सकते। दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां और पहले से बनी ऐसी सैकड़ों पुरानी इमारतें हैं जो भूकंप के दौरान ढहने की कगार पर हैं।

सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) में सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोग्राम के निदेशक रजनीश सरीन बताते हैं कि पिछले दो दशकों के दौरान दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य तेजी से हुआ है। यहां 30-35 मंजिला इमारतें भी बड़ी संख्या में हैं। इनमें मानदंडों की अनदेखी की गई है। इसके अलावा जिन इमारतों को बने 30 साल हो चुके हैं, उन्हें भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि कोई भी हाई राइज इमारत अथवा पुराना घर शक्तिशाली भूकंप से कितना प्रभावित होगा, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे उस इमारत में यदि मैटीरियल इस तरह जोड़कर लगाया गया है कि वह अलग-अलग दिशाओं में व्यवहार करता है तो इमारत में भूकंप के दौरान दरार आने या गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सरिये की लैब में जांच करवाए बिना उसका इस्तेमाल करना, नई या पुरानी इमारत के आसपास लंबे समय तक जलभराव की समस्या, रखरखाव का अभाव, वर्षों तक इमारत पर पेंट न होना या सीमेंट का उखड़ते रहना और खराब माल का इस्तेमाल आदि भी इमारतों को कमजोर बनाता है।

गाइडलाइंस जारी, लेकिन नहीं हो रहा पालन: रजनीश कहते हैं कि नेपाल में पहले आए भूकंप के बाद केंद्र सरकार की ओर से इमारतों या निर्माण स्थलों के रीसर्टिफिकेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई थीं, जिनमें पुरानी बिल्डिंगों को स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स से रीसर्टिफाई कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए पैच टेस्ट करना होता है, जिसमें कंक्रीट का सैंपल लेकर उसे लैब में भेजा जाता है। भवन निर्माण में जो सरिया इस्तेमाल होता है, उसकी भी जांच जरूरी है, लेकिन अधिकतर ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा करना लापरवाही है।

भूकंप में हो सकता है नुकसान: रजनीश कहते हैं कि सर्वे में बताया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में 80 प्रतिशत इमारतें भूकंप के लिहाज से रहने लायक नहीं हैं। सर्वे फिजिकली था या लैब पर आधारित था, कहना जरा मुश्किल है। रिक्टर स्केल पर सात की तीव्रता का भूकंप आया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। डीडीए ने भी 300 इमारतों की सूची तैयार की थी जो भूकंप नहीं झेल सकतीं।

राजधानी के उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में एक के साथ एक बने हैं कई मंजिला मकान● जागरण आर्काइव

भूकंपरोधी मकान के यह करें काम

संबंधित प्राधिकरण या फिर नगर निगम आदि को नए निर्माण को बिना डिजाइन के तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के अनुसार ही नए मकान को बनाने की इजाजत होनी चाहिए। बिना किसी प्रशिक्षण किए हुए मिस्त्री से काम कराना पड़ रहा है तो आर्किटेक्ट से डिजाइन लें।

दिल्ली में 2010 से लेकर अब तक क्या हुआ

53,499 भवनों का नक्शा पास किया गया

4,061 नक्शा पास करने के आवेदन रद हुए

1,851 आवेदन लंबित हैं

7,499 निर्माण को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया

998 आवेदन कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के रद किए गए

दिल्ली में इमारतों को भूकंपरोधी और उनकी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 2019 में एक एक्शन प्लान बना था। दो साल साल में ऊंची इमारतों और अगले तीन वर्ष में सभी इमारतों की मजबूती सुनिश्चित करने को कहा गया था। कार्य 10 प्रतिशत भी नहीं हुआ है।
-अर्पित भार्गव, अधिवक्ता और याचिकाकर्ता

पुराने निर्माणों की मजबूती के लिए रेट्रोफ़िटिंग का कंसेप्ट तैयार हो चुका है। ऐसे भवनों का स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सर्वे कराकर उसकी मजबूती के प्रयास किए जा सकते हैं। नए निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। **-डा. ओपी मिश्रा**, निदेशक, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र

दिल्ली में कहां ज्यादा खतरा

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि यमुना के मैदानों को भूकंप से ज्यादा खतरा है। पूर्वी दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, सरिता विहार, पश्चिम विहार, वजीराबाद, करोलबाग और जनकपुरी जैसे इलाकों में बहुत आबादी रहती है, इसलिए वहां खतरा ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, छतरपुर, नारायणा, वसंत कुंज जैसे इलाके तेज भूकंप झेल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो नई इमारतें बनी हैं, वे छह से 6 .6 तीव्रता के भूकंप को झेल सकती हैं। पुरानी इमारतें पांच से 5 .5 तीव्रता का भूकंप सह सकती हैं। 2008 और 2015 में नेपाल भूकंप के बाद दिल्ली में पुरानी इमारतों को ठीक करने की कवायद शुरू हुई थी। इसी के बाद दिल्ली सचिवालय, विकास भवन, गुरु तेग बहादुर अस्पताल की इमारत को मजबूत भी किया गया था।

अनधिकृत कालोनियों में कोई मानक नहीं

दिल्ली में करीब दो हजार अनधिकृत कालोनियां और बड़ी संख्या में लालडोरा क्षेत्र है। अकेले अनधिकृत कालोनियों में ही 40 लाख से भी अधिक की आबादी रहती है। बावजूद इसके यहां निर्माण कार्य के लिए कोई मानक तय नहीं हैं।

नियमों पर हावी वोट बैंक की राजनीति

दिल्ली एनसीआर में अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर संबंधित ठेकेदार और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के तमाम प्रविधान हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति और भ्रष्टाचार के खेल में सब फाइलों तले दब जाते हैं। आंख तभी खुलती है जब कहीं हादसा हो जाता है। तब एफआइआर भी हो जाती है, ठेकेदार या बिल्डर गिरफ्तार भी हो जाता है और इमारत भी सील भी हो जाती है।

जानलेवा लापरवाही ›› संपादकीय
संबंधित खबर ›› जागरण सिटी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- * THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022 ----DATED----

Lack of funds, space and planning: MCD fails to crack parking puzzle

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: An existing parking facility for over 50,000 cars and a plan to accommodate 3,500 more by the end of the financial year have been ineffective in addressing the problem of congestion in Delhi, leaving vehicles jostling for space in busy markets and commercial hubs.

In the past few years, Municipal Corporation of Delhi (MCD), facing shortage of funds and space, has made alternative arrangements for creating parking lots. These included introducing cost-effective methods for construction of stack and puzzle parking in place of underground or conventional structures that required crores of expenditure. It also introduced a cluster scheme to make all parking lots operational and aimed for a six-fold hike in charges for surface parking lots to dissuade people from parking on the road.

However, certain issues remain unaddressed. For instance, getting sites allotted from other land-owning agencies has been tough, payment to contractors is delayed due to a cash crunch and the parking area management plan (PAMP) has failed to find support.

The city's parking problems have been compounded by a persistent delay in completion of prominent projects on account of lack of coordination, mismanagement and restrictions like construction ban during peak pollution, said residents.

Atul Goel, president, United Residents Joint Action (URJA), Delhi, said the delay in releasing funds to contractors and 'dilly-dallying' by officials has meant that tenders allocated for parking and other projects have not seen any response.

"Several projects finalised in the past few months haven't been implemented on the ground. The civic body has been holding contractors' money even for completed projects. This attitude will dissuade people from participating in the tender process. If there's a crisis, the corporation can look for alternative sources to fund projects," he said.

In 2019, on SC's direction, the civic bodies came up with parking area management plans (PAMP) to improve on-street and off-street parking. These were to be implemented under the Delhi Maintenance and Management of Parking Places Rules, 2019.

"The erstwhile south corporation prepared plans for 16 colonies while the north, south and east corporations implemented plans in three markets and residential neighbourhoods, including Lajpat Nagar III, Kamla Nagar and Krishna Nagar, on a pilot basis. But within months, things were back to square one due to lack of interest and resistance from locals and traders, who refused to park some distance from the markets. We are now carrying out fresh talks with RWAs. In two areas, things seem positive," said an MCD official. He added that unless residents and traders don't support the cause, parking reforms will be difficult.

Wing Cdr (Retd) JS Chadda of URJA, however, blamed MCD's 'pick-and-choose policy' for its failure to implement the PAMP project.

"We offered them assistance in forming teams and calling meetings of RWAs and market associations to explain the benefits of the project. This would have given people an opportunity to understand the concept," he told **TOI**.

Stressing on the need for 'demand management' as space is limited, Chadda said it wasn't feasible for authorities to keep creating parking facilities forever. "Parking fees must be hiked in congested places as per PAMP norms immediately," he added.

Till date, MCD has only one multi-level car parking in east Delhi's Krishna Nagar. The 90-95 surface parking lots are insufficient to meet the requirement of congested markets like Laxmi Nagar and Gandhi Nagar.

"We had approached DDA for sites to develop parking lots and offered to share revenue. A joint inspection was carried out at three sites — Karkardooma, Laxmi Nagar district centre and Geeta Colony — but no consensus was reached because of land use issues. Also, there is no provision for leasing out land on PPP basis in DDA's policy," said an official.

MCD officials said they had identified 13 sites in industrial areas of east Delhi to create parking space and pursued DSIIDC for land but the project couldn't be finalised.

Former BJP councillors said unification and change in the Delhi Municipal Corporation Act will resolve all issues.

"We were going through a financial crunch and it would be unfair to say officials aren't working diligently. Now that changes have been made in the DMC Act, we are sure the crisis will be over. There were some unavoidable delays like the pandemic and delay in shifting services lines, which affected the deadline," said former BJP mayor in erstwhile north corporation Jai Prakash.

Residents said parking facilities must be made more advanced. "MCD parking lots still don't have features like boom barriers, digital screens showing capacity and digital transaction facility at many places," said Madhu Yadav, a resident of Laxmi Nagar.

CRUMBLING INFRA

Parking space for 50,771 cars

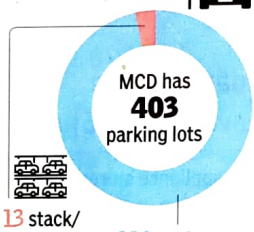

Future plan

- Aim is to make 16 more parking spaces operational in next **2-3 years**
- Target of completing seven multilevel/stack/puzzle parking lots by this year
- This will create car parking space for **3,479 more vehicles** by the end of this financial year

File photos

Parking areas planned	Capacity	Time of completion
Six-storey puzzle parking at Nizamuddin Basti	86	December-end
Six-storey puzzle parking at Amar Colony	81	March-end
Multilevel parking at Shiva Market, Pitampura	500	January-end
Gandhi Maidan, Chandni Chowk	2,338	March-end
Multilevel parking on Qutub Road	174	January-end
Stack parking at Nigambodh Ghat, opposite ISBT	95	March-end
Stack parking at Fatehpuri	196	January-end

A nine-storey shuttle parking for 399 cars at M-Block Market, GK-1, is likely to be completed by June 2023

A six- storey puzzle parking at Punjabi Bagh cremation ground for 225 cars to be completed by April 2023

Reasons for parking woes

- Parking area management plan not followed
- Difficulty in getting vacant space from other land-owing agencies
- Delay in completion of some parking projects due to cash crunch and other reasons
- Mismanagement as people continue to park in 2-3 lanes

What's in store

- To discourage people from using surface parking within the 500m area of existing multilevel parking lots, MCD has proposed to increase charges by six times
- At two residential neighbourhoods in south Delhi, talks are on for implementing parking plan
- With amendment in DMC act and unification, the civic body expects to get sufficient funds on time

PLAINSPEAK

PARKING

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला
नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 10 नवंबर 2022

भूकंप@7... तो तबाह हो जाएगी दिल्ली

दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-4 में, रिएक्टर स्केल पर सात तक की तीव्रता का भूकंप आने की आशंका

संतोष कुमार

नई दिल्ली। भूकंप के झटकों ने मंगलवार मध्य रात्रि दिल्ली-एनसीआर को झकझोर दिया। झटका इतना तेज था कि लोग घरों से बाहर निकल आए। 6.3 तीव्रता के भूकंप का केंद्र नेपाल होने से दिल्ली-एनसीआर में किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। उधर, विशेषज्ञ बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर सिस्मिक जोन-4 में है। भूकंप के लिहाज से यह संवेदनशील है। यहां छह-सात तीव्रता तक के भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। ऐसा होने की सूरत में बड़े पैमाने पर नुकसान होगा।

दिल्ली में करीब 50 लाख इमारतें हैं। इसमें आलीशान बहुमंजिला इमारतें भी हैं और देहात के मकान भी। अनधिकृत कॉलोनियों में बड़ी संख्या में चार-पांच मंजिला मकान बने हैं। अलग-अलग समय में डीडीए, एमसीडी, आपदा प्रबंधन विभाग समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों ने इमारतों का सर्वे किया है। इसमें भूकंपीय क्षेत्र-4 को ध्यान में रखकर इमारतों की सुरक्षा की जांच की गई है।

खतरे की जद में दिल्ली-एनसीआर

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में प्रोग्राम डायरेक्टर, सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोग्राम रजनीश सरीन बताते हैं कि सिस्मिक जोन-4 में होने से एनसीआर निश्चित ही खतरे की जद में तो है ही, यहां निर्माण भी तेजी से हो रहा है। 30-35 मंजिला गगनचुंबी इमारतें बड़ी संख्या में बन रही हैं। सवाल यही है कि लिहाजा क्या ये फ्लैट भूकंप रोधी हैं? क्या इन फ्लैटों या इमारतों को भूकंप के दौरान नुकसान नहीं होगा और यहां रहने वाले लोग सुरक्षित होंगे? जवाब नकारात्मक ही मिलता है। एक मिनट के लिए मान लें कि सरकारी इमारतें ठीक हो सकती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अनधिकृत कॉलोनियों में इसका कोई खास ध्यान नहीं है।

कई चीजों से मिलती इमारतों को मजबूती: एक जैन व रजनीश सरीन बताते हैं कि हाई राइज इमारतों की सुरक्षा कई चीजों पर निर्भर करती है। मसलन, उस इमारत की फाउंडेशन बेहतर हो। स्लैब व बीम में इतनी जगह हो, जो झटके को सह सके। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सरिया आदि की लैब में जांच करवाई जाए। ऐसा न होने और नई या पुरानी इमारत के आसपास लंबे समय तक वाटर लॉगिंग की समस्या, मेंटेनेंस का अभाव, कई सालों तक इमारत पर पेंट न होना या सीमेंट का उखड़ते रहना, खराब माल का इस्तेमाल आदि भी इमारतों को कमजोर बनाता है। दिल्ली के हर इलाके में इस तरह की समस्या दिख जाती है।

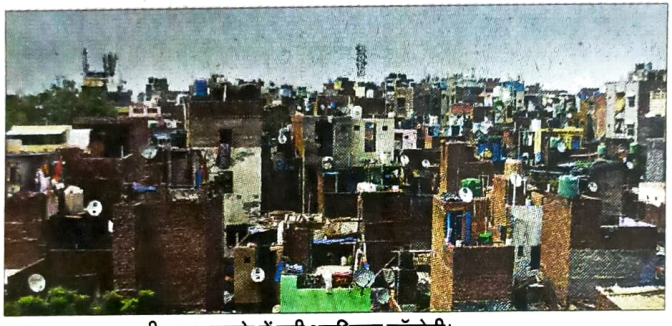

सीलमपुर इलाके में बनी अनधिकृत कॉलोनी। अमर उजाला

80 फीसदी इमारतें तेज भूकंप के लिहाज से सुरक्षित नहीं

डीडीए के टाउन प्लानर रहे एके जैन बताते हैं कि सभी एजेंसियों के आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि मोटे तौर पर 80 फीसदी इमारतें जोन-4 के झटके को सहने में सक्षम नहीं हैं। अगर भूकंप को केंद्र दिल्ली-एनीआर हुआ और तीव्रता भी ज्यादा रही तो दिल्ली की हालत 2001 के गुजरात के भूकंप सरीखी हो सकती है। भुज भी जोन-4 में ही आता है। यह बड़ी आपदा होगी, जिससे होने तबाही का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। सरकारों को इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संजीदा कदम उठाने होंगे।

सरकारी इमारतें भी असुरक्षित

नाम उजागर न करने की शर्त पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सचिवालय, पीएचक्यू, जीटीबी अस्पताल, लुडलो कैसल स्कूल एवं मंडलायुक्त कार्यालय भवन पुराने भारतीय मानकों के आधार पर बने हुए हैं। सात तीव्रता के भूकंप की दशा में इन भवनों के ब्लॉक आपस में टकराएंगे। इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में इमारतों को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से इमारतों की मरम्मत के साथ रेट्रोफिटिंग या ढांचागत बदलाव किया जा सकता है। अगर तीनों तरीकों से बात नहीं बनती तो उसे गिरा देना बेहतर होगा।

मंगलवार देर रात के भूकंप से सहमे लोग

रात करीब 2 बजे इमारत में हिली तो नींद खुल गई। पहले लगा कि सपना है। जब कई लोग बाहर निकल आए तो पता चला कि भूकंप आया था। मैं भी डर के कारण बिल्डिंग से बाहर आया। नीचे वाले माले पर रह रहे परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए थे। **-विशाल बिष्ट,** रोहिणी सेक्टर 15

करीब 2 बजे रात को जोरदार भूकंप का झटका लगा, पूरा बिस्तर हिल गया, डर के मारे मैं जोर से चिल्लाया, बाकी लोग भी जग गए, हम सब भागकर बाहर आए, काफी देर तक पास के पार्क में बैठे थे। कई और लोग यहां आ गए थे। **—सौरभ,** ककरौला द्वारका

रात में 1.59 बजे रह रह कर भूकंप के दो झटके आए, हम जाग रहे थे, घर के बाकी लोग सो रहे थे, डर के मारे सबको जगा दिया, हम लोग चौथी मंजिल पर रहते हैं, कहीं दोबारा भूकंप न आए इस चक्कर में पूरा परिवार सुबह तक सो नहीं पाया। **— अर्चना,** मयूर विहार फेज-1

जिस समय भूकंप आया, उस समय मैं जगा हुआ था, मेरा पूरा बेड हिल गया, थोड़ी देर तक मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा है, लेकिन छत पर नजर पड़ी तो पंखा हिल रहा था, मैं परिवार समेत बाहर निकला तो बाहर भीड़ लगी हुई थी। **— इरफान,** गांवड़ी गांव, भजनपुरा

आदेश का सही तरीके से नहीं हुआ पालन

डीडीए के टाउन प्लानर रहे एके जैन का कहना है कि हाईकोर्ट में 2019 में आदेश दिया था कि तीस साल पुरानी इमारतों के बिल्डिंग प्लान तैयार करने के साथ उसकी ढांचागत ऑडिट भी करवाई जाए। एमसीडी ने इसका नोटिस भी जारी किया था। बावजूद इसके अभी तक कुछ खास नहीं हो सका है।

7.5 तीव्रता का झटका भी झेल लेगी मेट्रो

डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो निर्माण में ऐसे स्टैंडर्ड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है कि रिएक्टर स्केल पर 7.5 तीव्रता तक के भूकंप पर कोई नुकसान नहीं होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में भूकंप आने पर जरूरत के हिसाब से ट्रेन ऑपरेशन को रोका या धीमा किया जाता है। इससे मेट्रो को चलाने में कोई अड़चन नहीं होगी।